

M878/DY.Nu - 270

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

Notification No. 06 / 2016

New Delhi, the 18th February, 2016.

SO.....(E): In exercise of the powers conferred by item (h) of sub-clause (iv) of clause (15) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1827(E), dated the 6th of July, 2015, namely :-

In the said notification,-

(a) in paragraph 6, after sub-paragraph (ii), the following proviso shall be inserted, namely:-
"Provided that the National Bank for Agriculture and Rural Development shall earmark sixty per cent of such public issue under sub-paragraph (ii) for RIIs."

(b) in paragraph 9, in the TABLE,-

(i) for serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

Sl. No.	Entities	Allocated amount of bonds (in crore)
(1)	(2)	(3)
"1	National Highways Authority of India (NHAI)	19000";

(ii) after serial number 7 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

Sl. No.	Entities	Allocated amount of bonds (in crore)
(1)	(2)	(3)
"8	National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)	5000".

[F.No.178/ 1/2016-ITA-I]

Deepshikha

(DEEPSHIKHA SHARMA)

Director to the Government of India

To
The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Press,
New Delhi.

bl
18/2/16

keleung

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1827(E) dated the 6th of July, 2015.

भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उपखंड(ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना संख्या ९६-/2016

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2016.

का. आ.----- (अ): आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपवाक्य (15) के उप-उपवाक्य (iv) की मद (ज) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जो का. आ. 1827 (अ), दिनांक 6 जुलाई, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उपखंड-(ii) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:

उक्त अधिसूचना में

क) पैरा 6 में, उप-पैरा (ii) के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

“ बशर्ते यह कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, उप-पैरा (ii) के अंतर्गत ऐसे सार्वजनिक इश्यु के 60 प्रतिशत इश्यु को खुदरा व्यक्ति निवेशकों के लिए नियत करेगा”

ख) पैरा 9 में, सारणी में-

i) क्रम संख्या 1 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

क्र.सं.	निकाय	बंधपत्र की आबंटित राशि (रु. करोड़ में)
(1)	(2)	(3)
"1	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)	19000"

ii) क्रम संख्या 7 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगा, नामतः-

(1)	(2)	(3)
"8	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)	5000"

(फा. सं. 178/1/2016-आईटीए-1)

दीपशिखा

(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक,

भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी प्रेस

नई दिल्ली,

टिप्पणी:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उपखंड-(ii) में का, आ. 1827 (अ.), दिनांक 6 जुलाई, 2015 के तहत प्रकाशित की गई थी।